रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263756
CG-DL-E-12062025-263756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2512] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947
No. 2512] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2025

(आयकर)

का.आ. 2576(अ).— आयकर नियमावली , 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित ,आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(क) बंधपत्र का नाम - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का शून्य कूपन बंधपत्र

(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि - दस वर्ष ग्यारह माह तेरह दिन

(ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी - दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाना है

(घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि - 19,500 करोड़ रुपये

(ङ) छूट - 10,349.625 करोड़ रुपये

(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - 19.50 लाख

[अधिसूचना सं. 56 /2025 / फा.सं. 300164/4/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव